

## सम्राट अशोक की धर्म नीति

### Emperor Ashoka's Dhamma Policy

Paper Submission: 05/06/2021, Date of Acceptance: 15/06/2020, Date of Publication: 25/06/2021

#### सारांश

अशोक न सिर्फ प्राचीन भारतीय इतिहास बल्कि विश्व के इतिहास में भी इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव के नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। कलिंग विजय के बाद अशोक की नीति के मूल पृष्ठाधार थे— क्षमा नीति, अहिंसा, अनुशासन, धर्म—याया, समद्विष्टि, धम्प्रसार और धम्मविजय। अविजित दशों के संबंध में उसने स्पष्ट कहा— ‘वे मुझसे डरे नहीं, मुझ पर भरोसा रखें, वे मुझसे सुख ही पायेंगे, दुःख नहीं’। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उसे ‘धर्म’ कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में धर्म शब्द का प्रयोग बार—बार हुआ है। दूसरे स्तम्भ लेख में अशोक की जिज्ञासा कुछ इस प्रकार है— “कियचुधर्म”? (धर्म क्या है?) इस प्रश्न के उत्तर में अशोक स्वयं कहता है— “आपा शिनवे बहू कथाने दयादान सोचिये”। कहने का तात्पर्य यह है कि पापहीनता (आपा शिनवे), बहूकल्याण (बहूकथाने) दया दान सम्यता और शुद्धि ही धर्म है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि अभिलेखों में उल्लेखित धर्म बौद्ध धर्म नहीं था। भवु अभिलेख को छोड़कर कहाँ भी उसने धर्म का प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए नहीं किया। बौद्ध धर्म के लिए संदर्भ या संघवाद शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा तथा सातवीं स्तम्भ लेखों में अशोक ने धर्म की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है— “धर्म है साधता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, पापरहित होना, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता”। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता—पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दासों के प्रति उचित व्यवहार। उन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धर्म के अंतर्गत माना गया है। अशोक के धर्म के दो पहलू हैं। प्रथम के अन्तर्गत वे निर्देश हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए (व्यावहारिक रूप) तथा दूसरे पहलू में वे निर्देश हैं जिनका परित्याग करना चाहिए (निषेधात्मक रूप)। अशोक के धर्म का स्वरूप को लेकर भी विभिन्न विद्वानों के मत में विरोधाभाष प्रतीत होता है। एक तरफ जहाँ पलीट महोदय ने धर्म को राजधर्म माना है वहीं डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी, डॉ. स्मिथ तथा डॉ. आर. एस. त्रिपाठी जैसे विद्वान धर्म को सार्वभौम धर्म मानते हैं। वहीं अशोक के धर्म को फादर हेरास ब्राह्मण—धर्म एवं डॉ. भंडारकार, सेनार्ट हुल्श आदि प्रमुख विद्वान इसे उपासक बौद्ध—धर्म मानते हैं।

Ashoka is famous not only in ancient Indian history but also in the history of the world because he constantly tried for the moral advancement of human beings. After the conquest of Kalinga, the basic pillars of Ashoka's policy were the policy of forgiveness, non-violence, discipline, Dharma-Yaya, Samadrishti, Dhammaprasara and Dhammavijay. In relation to the unconquered tenas, he clearly said - "They are not afraid of me, have faith in me, they will get happiness from me, not sorrow". The principles by which this moral uplift was possible, have been called "Dhamma" in the writings of Ashoka. The word Dhamma is used repeatedly in the inscriptions of Ashoka. Ashoka's curiosity in the second column is something like this - "Kianchudhamma"? (What is Dhamma?) In response to this question, Ashoka himself says - "Aapa shinwe bahu kathane daya daan sochiye". It is meant to say that sinlessness (Apa Shinwe), multiplicity (multiple stories), kindness, charity, civilization and purification is the Dhamma. It is important to remember here that the religion mentioned in the inscriptions was not Buddhism. Nowhere did he use the Dhamma for Buddhism except in the Bhavur inscription. The term context or sanghaism was used for Buddhism. Ashoka has explained Dhamma in the second and seventh column articles as follows. - "Dhamma is a sadhak, doing many good welfare works, being free from sin, sweetness in dealing with others, kindness, charity and chastity". It is further said that not to kill living beings, not to commit violence to living beings, obeying parents and elders, respect for teachers, charity towards friends, acquaintances, relatives, brahmins and shramans, and proper behavior and proper behavior towards slaves.. In addition to those qualities, the respect of the Guru by the disciple is also considered under the Dhamma. Ashoka's Dhamma has two aspects.Under the first are the instructions that should be followed (pragmatic form) and in the second aspect are the instructions that should be abandoned (prohibitive form). There seems to be a contradiction in the opinion of different scholars regarding the nature of Ashoka's Dhamma.While Fleet has accepted Dhamma as the state religion, scholars like Dr. Radhakumud Mukherjee, Dr. Smith and Dr. RS Tripathi consider Dhamma to be universal religion. On the other hand, Ashoka's Dhamma is considered to be a Brahman religion by father Hears and prominent scholars like Dr. Bhandarkar, Senart Halsh etc. considered to be worshiper Buddhism.

**मुख्य शब्द :**धर्म, संघवाद, दिग्विजय, धर्म मंगल, धर्म दान, संबोधि, सावभौम, अहिंसा, भिक्षु, सहिष्णुता, उपासक।

Dhamma, federalism, Digvijaya, Dhamma Mangal, Dhamma charity, enlightenment, universalism, non-violence, monks, worshippers.

#### **प्रस्तावना**

मौर्य शासक बिंदुसार के पुत्र अशोक ने अपने राज्याभिषेक के उपरांत मगध—साम्राज्य का विस्तार किया तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति का पालन किया। एक शासक के रूप में अशोक की प्रमुख सैनिक उपलब्धि कलिंग पर विजय थी। अशोक के समय में कलिंग एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। उसकी निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति मौर्य—साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रही थी। अतः कलिंग की शक्ति को अवरोधित करना अशोक के लिए आवश्यक था। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण करने का एक अन्य कारण यह भी था कि दक्षिण के साथ सीधे सम्पर्क के लिए समुद्री व स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि मौर्य—साम्राज्य के अधीन न होता तो समुद्री व स्थल मार्ग से होने वाले मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता था, अतः अशोक के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना नितान्त आवश्यक था। परन्तु यह कोई प्रबल कारण प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस दृष्टि से तो चन्द्रगुप्त के समय में ही कलिंग को मगध—साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था। वैसे भी कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट होता है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार को बहुत महत्व देता था। अतः कलिंग पर विजय प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य साम्राज्य—विस्तार की भावना भी रही होगी।

#### **लेखन का उद्देश्य**

शोध पत्र लेखन के उद्देश्य विभिन्न विद्वानों के मतों के माध्यम से अशोक की धर्म नीति और उसके स्वरूप को जानना है साथ ही अशोक का बौद्ध धर्म एवं अन्य धर्मों के प्रति क्या नजरिया रहा तथा धर्म नीति के माध्यम से अशोक अपने प्रजा को क्या संदेश देना चाहता है, यह जानने का भी प्रयास किया गया है।

#### **कलिंग पर आक्रमण**

अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 08 वर्ष बाद अर्थात् 261 ई० पू० में किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी के वर्णन से ज्ञात होता है कि कलिंग एक अत्यन्त शक्तिशाली राज्य था तथा उसकी सेना में 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार व 700 हाथी थे। अशोक की सेना भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। कलिंग के निवासियों ने अत्यंत वीरतापूर्वक मौर्य—सेना का सामना किया। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वहाँ की स्त्रियों व पुरुषों ने प्राणों की बाजी लगा दीं अतः यह युद्ध अत्यधिक रक्तरंजित हुआ। इस युद्ध का वर्णन अशोक के तेरहवें शिलालेख में मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार, 'राज्याभिषेक के आठ वर्ष पश्चात देवताओं के प्रिय सम्राट् प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति व पशु बन्दी बनाकर कलिंग से लाए गए व 1,00,000 व्यक्ति युद्ध—भूमि में मारे गये। तथा उसके कई गुना अन्य कारणों से नष्ट

हो गए। युद्ध के पश्चात महामना सम्राट् ने दया के धर्म की शरण ली, इस धर्म से अनुराग किया और इसका सम्पूर्ण साम्राज्य में प्रचार किया। इस विनाश की ताण्डव—लीला ने, जो कि कलिंग राज्य को जीतने में हुआ, सम्राट् के हृदय को द्रवित कर दिया व पश्चाताप से भर दिया।"

तेरहवें शिलालेख के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पश्चाताप एक क्षणिक भावना न होकर कष्ट का कारण बनने पर उसके विशाद व पश्चाताप को व्यक्त करता है। युद्ध की इस भीषणता का अशोक पर गंभीर प्रभाव हुआ। अशोक ने युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया तथा दिग्विजय के स्थान पर 'धर्म—विजय' को अपनाया। कलिंग की प्रजा व सीमावर्ती प्रदेशों में रहने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाय, इस संबंध में अशोक ने दो आदेश जारी किए। आदेश धौली (पुरी जिला) व जौगढ़ (गंजम) के शिलालेखों पर उत्कीर्ण हैं। इन शिलालेखों में उत्कीर्ण विवरण इस प्रकार है—"सम्राट् का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत् व्यवहार, जनता को प्यार किया जाय, अकारण लोगों को दंड व यातना न दी जाय, जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। सीमान्त जातियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें सम्राट् से कोई भय नहीं करना चाहिए। उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से सुख ही मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वे धर्म का पालन करें। यहाँ उन्हें सुख मिलेगा तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग।"

इस प्रकार कलिंग के युद्ध के परिणामस्वरूप अशोक में महान परिवर्तन हुआ। डॉ. आर. एस. त्रिपाठी ने लिखा है, "इसके बाद भेरीघोष सदा के लिए मूक हो गया और धर्मघोष का शान्तिप्रद व नेहसिंचित नाद दिगंत में गूंज उठा" निःसंदेह कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की अन्तिम सैनिक विजय थी। अशोक की इस शान्तिप्रिय नीति ने ही उसे सदैव के लिए अमर बना दिया। कलिंग का युद्ध विश्व—इतिहास की एक निर्णायक घटना था, जिसके बाद से भारत में एक नवीन युग का जन्म हुआ। कलिंग का युद्ध निःसंदेह एक युग का निर्णायक घटना थी। डॉ. हेमचन्द्र राजचौधरी ने अशोक के कलिंग विजय के विषय में लिखा है, 'कलिंग—विजय भारत तथा मगध के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद राजाओं तथा सम्राटों की राज्य—विस्तार की लालसा व उसके परिणामस्वरूप संघर्ष की नीति, जो विभिन्न सांग विदेश की विजय से प्रारंभ हुई थी, लुत हो गई। एक नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें शान्ति, सामाजिक उन्नति व धर्म—प्रचार का व्यापक प्रसार हुआ, किन्तु इसके साथ ही राजनीति शिथिल पड़ गई, सैनिक शक्ति क्षीण हो गई व मगध की सैन्य—भावना नष्ट होने लगी। दिग्विजय का युग समाप्त हुआ, धर्म—विजय युग का आविर्भाव हुआ।"

एच. जी. वेल्स ने अशोक को विश्व का महानतम शासक कहा है, किन्तु उसकी महानता उसके साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार के कारण नहीं थी। अशोक

अपनी नैतिक महानता व उन सिद्धांतों के कारण प्रसिद्ध हैं जो कि उसके युग से बहुत आगे के थे। अशोक ने स्वयं ही इस बात को कहा है कि किसी भी राजा की प्रसिद्धि का वास्तविक मापदंड उसकी प्रजा का नैतिक उत्कर्ष है। अशोक इस उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहा। अशोक ने तत्कालीन सामाजिक तनाव और संकीर्णतावादी झगड़ों को समाप्त करने तथा अपने विशाल साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करने के लिए 'धर्म' का प्रतिपादन किया। यही कारण है कि अशोक का धर्म घोर सामाजिक नैतिकता व नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित था। इस संबंध में डॉ. थापर ने लिखा है, "धर्म मुख्य रूप से एक नैतिक सिद्धान्त था जो समाज के संदर्भ में व्यक्ति से संबंधित था। अशोक अपने धर्म के प्रचार से धार्मिक शिक्षा के संकीर्ण दृष्टिकोण को सुधारने का तथा शक्तिशाली से शक्तिहीन की रक्षा का प्रयास कर रहा था, तथा साम्राज्य में सामाजिक आचरण की ऐसी चेतना जाग्रीत कर रहा था जो अपने परिमित क्षेत्र में इतनी उदार थी कि कोई भी संसारित वर्ग सामाजिक सर्वोच्च स्तर पर पहुँच सके।"

सारकृतक वग इसका  
अपोक की 'धम त्रिति'

अशोक का धन नात। अशोक का 'धर्म' क्या है? यह एक जटिल प्रश्न है। अपने द्वितीय स्तम्भ लेख में अशोक स्वयं ही पूछता है कि कियं चु धर्मे? इसका उत्तर देते हुए वह कहता है, "अपआसिनवे बहुकथाने दया दाने सचे साचये" अपने स्तम्भ लेख में भी अशोक ने धर्म के इन उपादानों का उल्लेख किया है। इस प्रकार द्वितीय व सप्तम स्तम्भ लेखों के अनुसार धर्म के निम्नलिखित उपादान हैं:-

अपआसिनवे— दष्कार्यो से बचना.

बहकथाने— बहकल्याण.

दया— करुणा, बदाने— उदारता,

सचे— सत्यता, साचये— पवित्रता ।

अशोक के धर्म के दो पहलू हैं। प्रथम के अन्तर्गत वे निर्देश हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए (व्यावहारिक रूप) तथा दूसरे पहलू में वे निर्देश हैं जिनका परित्याग करना चाहिए (निषेधात्मक रूप)।

## व्यावहारिक रूप

अशोक ने अपने द्वितीय स्तम्भ-लेख में धर्म के जिन उपादानों का वर्णन किया है, उन्हें व्यवहार में लाने का तरीका वह द्वितीय लघु शिलालेख में बताता है। अशोक इस विषय में अनेक कर्तव्यों का पालन करना बताता है। जिनका वर्णन इस प्रकार है :

(1) अनारंभो प्राणानां— प्राणवान् जन्तुओं की हत्या न करना।

(2) अविहिंसा भूतानां— अस्तित्ववान् जीवों को क्षति न पहुँचाना।

(3) मातरि पितरि सम्भसा— माता-पिता की सेवा ।

(4) थेर सस्स-वक्षों की सेवा ।

(5) गरुणा अपचिति—गरुओं का समादर.

(6) मित्र संस्तत-नाटिकानां- मित्रों पर्फी

(३) जन्म त्रासुरा निवाप्ति विष, विरक्ति, का सत्कार.

(7) ब्रह्मणसमानां दानं सम्पटिपति— ब्राह्मण व श्रमणों के प्रति उदारता व सम्यक व्यवहार।

(8) दासभत्कम्हि सम्यप्रतिपति— दासों व सेवकों से सम्यक व्यवहार।

(9) अपव्ययता और अपमांडता— आल्प व्यय व अल्प संचय।

उपरोक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त अशोक धम्म के अन्तर्गत कुछ अन्य बातों का अनुसरण करने के लिए भी कहता है :-

1. धर्म मंगल— धर्म मंगल के विषय में अशोक ने अपने 9वें शिलालेख में लिखा है। इस अभिलेख के अनुसार रोगों से मुक्त होने, विवाहों, पुत्रों के जन्म तथा यात्रा के अवसरों पर मनुष्य अनेक मंगलाचार करते हैं। मंगलाचार अवश्य करने चाहिए पर ऐसे मंगलों का कोई प्रभाव नहीं होता। अशोक ने प्रजा से धर्म-मंगल करने का आह्वान किया। इसके अन्तर्गत दासों व सेवकों से शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के साथ दयालुता, आदि कार्य आते हैं।
  2. धर्म दान— अशोक ने साधारण दान के स्थान पर धर्म-दान की महत्ता को समझाया। 11वें शिलालेख में अशोक ने सामान्य दान व धर्मदान का अन्तर प्रस्तुत किया है। इस अभिलेख के अनुसार धर्मदान दान का उच्चतम रूप है तथा इसका अर्थ किसी को धर्म के विषय में बताना, धर्म में भाग लेना तथा धर्म से संबंध स्थापित करना है। धर्म दान कोई भी किसी को कर सकता है— पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, भाई-भाई को, कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी को धर्मदान कर सकता है।
  3. धर्म विजय— 13वें शिलालेख में अशोक ने धर्म विजय का पालन करने का अनुरोध किया। इस अभिलेख में अशोक ने सामान्य विजय व धर्म विजय (धर्म द्वारा ऐसी रीति से विजय कि दूसरे की उन्नति हो) में तुलना की है। अशोक ने कहा है कि धर्म द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वह प्रेम से परिपूर्ण होती है और वह न केवल उसके साम्राज्य के बहिर्वर्ती प्रान्तों में अपितु उसके पड़ोसी राज्यों में भी की जा सकती है चाहे वह भारत में हो या विदेश में।
  4. सहिष्णुता— अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना बताया है तथा अन्य धर्मों की उन्नति की कामना की है। इसी शिलालेख में अशोक ने कहा है कि जो मनुष्य अपने धर्म की पूजा व अन्य धर्मों की निन्दा करता है वह अपने धर्म की ही हानि करता है।
  5. अहिंसा— अहिंसा का पालन करना भी नितान्त आवश्यक है। अशोक ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। ‘अनालम्भी प्राणिनां अविहिंसा भूताना’ (समर्प्य प्राणियों के लिए अहिंसा) धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, इसी कारण 13वें शिलालेख में अशोक ने ‘सर्वभूतानां अक्षति च संचम च’ का प्रचार किया।

**2. निषेधात्मक पहलू—** अशोक के धर्म का एक निषेधात्मक पक्ष भी है जिसमें वह विभिन्न कार्यों का न करने का आह्वान करता है। धर्म के इस पहलू को सिर्फ एक शब्द ‘अपआसिनव’ अर्थात् न्यन्तरम् आसिनव से स्पष्ट

किया जा सकता है। अशोक ने तीसरे स्तम्भ लेख में 'आसिनव' के अर्थ स्पष्ट किया है। इस लेख में आसिनव का अर्थ अशोक पाप मानता है तथा उन हानिकारक विकारों का वर्णन करता है जिनसे आसिनव उत्पन्न होता है। ये विकार निम्नलिखित है :-

1. चण्डिय-उग्रता
2. निदुलिय- निष्ठुरता
3. क्रोध-क्रोध
4. माने-घमण्ड
5. ईर्ष्या-ईर्ष्या

इस प्रकार अशोक का धम्म उपरोक्त विकारों से दूर रहने तथा इस प्रकार आसिनव से बचने को कहता है। तीसरे स्तम्भ लेख में अशोक कहता है, "मनुष्य अपने सुकृतों को ही देखता है और उन सुकृतों को देखकर सोचता है कि यह उसने किया है, परन्तु वह कभी अपने आसिनवों (पापों) को नहीं देखता और न ही यह सोचता है कि यह पाप उसने किया है।"

अशोक ने आसिनव से बचने व अपने द्वारा किए जा रहे आसिनव को जानने का मार्ग भी बताया है। यह मार्ग आत्मनिरीक्षण का है। अभिलेखों में आत्मनिरीक्षण के लिए 'परीक्षा' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार धम्म का एक प्रमुख सिद्धांत 'आत्मनिरीक्षण' भी है क्योंकि इसका पालन किए बिना मनुष्य अपने पापों को नहीं पहचान सकता तथा जब तक वह अपने पापों को नहीं जानेगा तब तक वह उनसे मुक्त नहीं हो सकता।

अशोक का धम्म केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं वरन् समस्त प्राणिजगत के लिए था। इसी कारण अशोक ने समस्त जीवों के लिए अनेक परोपकारी कार्य किए। अपोक ने स्वयं भी इस बात को स्थीकार किया है। 7वें स्तम्भ-लेख में वह कहता है, "मार्गो मैं मैंने बरगद के पेड़ लगवाए जिससे वे मनुष्यों और पशुओं दोनों को छाया दें, आम के बाग लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं व प्याऊ बनवाई। क्यों? मनुष्यों व पशुओं के सुख के लिए।"

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि अशोक का धम्म रूढिवादी, कर्मकाण्डवादी, गूढ़ क्रियावादी, दर्शनमूलक अथवा सूक्ष्मतत्वापेक्षी न था। वह तो अति सरल, विशुद्ध, व्यावहारिक तथा सर्वग्राह्य आचार-तत्त्वों से समन्वित था। अशोक का धम्म मात्र उपदेश देने की ही नहीं वरन् व्यवहार-रूप में कार्यान्वित करने की वस्तु थी। अशोक ने जिस धम्म का प्रचार किया उसका स्वयं अपने जीवन में पालन भी किया है। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को भी धम्म का अनुसरण करने का परामर्श किया था। अशोक के लिए धम्म जीवन की एक पद्धति था। इसका सार अपने को ज्ञात विभिन्न विचारकों की नैतिक शिक्षाओं के चयन व जीवन के अपने अनुभव से प्राप्त किया। यह घोर सामाजिक नैतिकता और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित था।"

मानव का यह स्वभाव है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व वह उसके परिणामों अथवा उससे होने वाले लाभों के विषय में जानना चाहता है। अतः धम्म का पालन करने से पूर्व लोगों के मन में स्वाभविक प्रश्न रहा होगा कि उसके पालन से क्या लाभ होगा। अशोक के लिए यह

नितान्त आवश्यक था किर धम्म के इस पक्ष को भी वह स्पष्ट करें। अशोक का परलोक में विश्वास था। अतः लघीले और जौगड़ा प्रथम प्रज्ञापन प्रथक में वह कहता है कि मेरे मन में सबसे प्रवल अभिलाषा यह है कि मेरी प्रजा को हिंद-लौकिक (इस लोक) तथा पाल-लौकिक में सुख मिले तथा धम्म का पालन करने से ही मनुष्य को परलोक में स्वर्ग मिलता है। 9वें शिलालेख में भी वह स्पष्ट रूप से कहता है कि धम्म का पालन करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अशोक के पास विश्व के लिए एक सुनिश्चित संदेश था। धम्म के व्यावहारिक पहलू के संबंध में वह न केवल धम्म के उपादान रूप गुणों का उल्लेख करता है बल्कि उन नैतिक आचरणों का निर्देश भी करता है, जिनमें वे गुण प्रत्यक्ष होते हैं। धम्म के निषेधात्मक पहलू के विषय में भी उसने वे हानिकारक विकास बता दिए हैं तो जो मनुष्य को आसिनव (पाप) की ओर प्रेरित करते हैं। एक सच्चे पैगम्बर की तरह अशोक ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि आत्मिक उन्नति में कौन-सी बाधाएं हैं तथा ऐसा उपाय सुझाया जिससे हम धार्मिक उन्नति कर सकें। यह उपाय है आत्मनिरीक्षण तथा अशोक इस बात का मनुष्यों के मन में बैठा देता है कि धम्म की वास्तविक वृद्धि के लिए आत्मनिरीक्षण परम आवश्यक है।

#### **अशोक द्वारा धम्म को अपनाने के कारण—**

निःसंदेह यह एक विचारणीय प्रश्न है कि अशोक ने 'धम्म नीति' को क्यों अपनाया? वे कौन-सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने अशोक को धम्म का अनुसरण व प्रचार करने के लिए बाध्य किया। यदि अशोक का अध्ययन तत्कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखकर करें तो उसकी धम्म नीति के कारण व उद्देश्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं।

मौर्यकाल तक हुए सामाजिक परिवर्तन तथा साम्राज्य-विस्तार ने इस युग को आपातकाल का रूप दे दिया था। अतः एक सुदृढ़ नियंत्रक शक्ति का होना परम आवश्यक था। इस राजनीतिक परिवर्तन (भारत के एक छत्र के नीचे आना) ने ऐसी विस्तृत नागरिकता को जन्म दिया जिसका संबंध सिर्फ स्थानीय घटनाओं से न था। ऐसी स्थिति में एक नवीन मत अपनाने व उसका सक्रिय प्रचार करने से छोटी-छोटी इकाईयों को जोड़ा जा सकता था। इस विधि के द्वारा विजित प्रदेशों को भी संगठित किया जा सकता था। बौद्ध-धर्म इस परिस्थिति में ब्राह्मण-धर्म से अधिक उपयुक्त था क्योंकि इसने एक अधिक व्यापक सामाजिक चेतना पर बल दिया था। इसके विपरीत, ब्राह्मण-धर्म में सामाजिक उत्तरदायित्व मुख्यतः प्रत्येक जाति के अपने दायरे तक ही सीमित था।

इसके अतिरिक्त, सर्वविदित है कि अपने राज्याभिषेक के समय अशोक बौद्ध नहीं था। शासक बनने के लिए भी अशोक को कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। संभव है कि उसे इस संघर्ष में रूढिवादी ब्राह्मण वर्ग से समर्थन न मिला हो, अतः सम्राट बनने के पश्चात् उसने बिना किसी धर्म का विरोध किए बौद्ध-धर्म का समर्थन किया। इस तरीके से प्रजा की रूढिवादिता को भी समाप्त किया

जा सकता था तथा अपने सिद्धांतों को प्रजा के लिए अधिक ग्राह्य बनाया जा सकता था।

मौर्यकाल में केन्द्र में शवितशाली सम्राट व साम्राज्य पर उसका नियंत्रण होना आवश्यक था। ऐसा करने के लिए अशोक के समक्ष दो मार्ग थे—सैन्यशक्ति व आत्म देवलव। अशोक ने दूसरे मार्ग को ही चुना तथा धर्म को एक नवीन एकता के लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। प्रचार का यह अत्यंत प्रभावशाली माध्यम था। अशोक ने बौद्ध-धर्म को महात्मा बुद्ध द्वारा प्रचारित एक धार्मिक दर्शन मात्र मानने के स्थान पर, समाज के लिए सामाजिक व बौद्धिक शक्ति का स्वरूप माना तथा धर्म के रूप में उसे प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार अशोक ने ही उस नीति को जन्म जिसका अठारह सौ वर्ष बाद कुछ भिन्न रूप में अकबर ने पालन किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्कालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने अशोक को धर्म का पालन व प्रचार करने को प्रेरित किया था।

#### **अशोक के धर्म का स्वरूप**

अशोक का धर्म जीवन की एक राह के रूप में उभरा है और उसमें अनेक आदर्श तथा आचार-व्यवहार सम्मिलित थे। आधुनिक समय में सामाजिक कल्याण योजना के अन्तर्गत आने वाले तथ्य अर्थात् चिकित्सक सुविधाएं प्रदान करना, आवागमन सुगम बनाना और अन्ध-विश्वासों पर व्यर्थ के व्यय का निषेध, आदि सभी कुछ धर्म में विद्यमान था। किन्तु धर्म की व्याख्या करते समय हमें सतर्क रहना है कि हम बौद्ध-धर्म अथवा किसी अन्य स्वीकृत सिद्धांत में प्रचलित ऐसी जातीय शब्दावली से न जोड़। धर्म की सच्ची व्याख्या तभी संभव है जब इस बात का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाए कि किस संदर्भ में और किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। यही कारण है कि धर्म के स्वरूप को लेकर विद्वानों में अत्यधिक पारस्परिक मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न-भिन्न मत प्रतिपादित किए हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है :-

#### **राजधर्म :**

'धर्म' को राजधर्म मानने वाले विद्वानों में फलीट प्रमुख हैं। फलीट के अनुसार अशोक के धर्म को किसी प्रकार भी बौद्ध-धर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें न तो महात्मा बुद्ध का उल्लेख है और न ही संघ को प्रमुख स्थान दिया गया है। अशोक के अभिलेखों में केवल एक बार संघ का उल्लेख किया गया है। फलीट अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त 'धर्म' का राजाओं के साधारण धर्म का प्रतीत मानते हैं जिसका धर्मशास्त्रों के राजधर्म संबंधी प्रकरण में उल्लेख किया गया है। फलीट का विचार है कि राजधर्म में राजा के कर्तव्यों व विधि का वर्णन मिलता है जिसके आधार पर राजा शासन करता है। अशोक के धर्म में भी ये विशेषताएं मिलती हैं, अतः वह निष्प्रित रूप से राजधर्म ही रहा होगा। इस प्रकार अशोक के धर्म को राजधर्म बताते हुए फलीट ने लिखा है, "अशोक के शिलालेख का उद्देश्य बौद्ध-धर्म अथवा किसी धर्म-विशेष का प्रचार करना न था, बल्कि सदाचारी राजा के कर्तव्य

के अनुसार सभी धार्मिक सम्प्रदायों को ध्यान में रखते हुए दया तथा न्याय के साथ शासन करना था।"

खंडन—अशोक के धर्म के कुछ सिद्धांत यद्यपि राजधर्म से मिलते-जुलते हैं किन्तु मात्र इस आधार पर उसे राजधर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता। फलीट के मत के विरोध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

(1) फलीट महोदय संभवतः इस तथ्य को भूल गए हैं कि अशोक के अभिलेखों में वर्णित 'धर्म' का पालन उसने प्रजा से करने को कहा है। यदि अशोक का 'धर्म' राजधर्म होता तो वह स्वयं ही उसका पालन करता, प्रजार से उसका पालन करने का आह्वान करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

(2) अशोक के एक अन्य शिलालेख में 'संबोधि' का वर्णन है, इससे भी धर्म व बौद्ध-धर्म में संबंध प्रमाणित होता है।

उपरोक्त तर्कों से फलीट महोदय के मत का खंडन हो जाता है। अतः उनके मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

#### **सार्वभौम धर्मः**

इस मत के प्रतिपादकों में उल्लेखनीय डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी, डॉ. स्मिथ तथा डॉ. आर. एस. त्रिपाठी हैं। इन विद्वानों का विचार है कि अशोक के धर्म में विभिन्न धर्मों के प्रमुख विचार निहित हैं, इसी कारण उन्होंने धर्म को 'सार्वभौम धर्म' माना है। डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी ने इस संदर्भ में लिखा है, "अभिलेखों का धर्म किसी एक धर्म अथवा किसी एक धार्मिक सम्प्रदाय का धर्म नहीं है, अपितु जाति तथा धर्म से पृथक एक नैतिक कानून है।" इसी प्रकार डा. स्मिथ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, "यह सिद्धांत मूलतः सभी भारतीय धर्मों में विद्यमान था चाहे एक सम्प्रदाय अथवा संघ इसके किसी अंश विशेष को अधिक प्रभावित करता हो।" एक अन्य स्थान पर स्मिथ ने लिखा है, "अशोक के लेखों का धर्म हिन्दू-धर्म ही है। अन्तर केवल इस कारण है कि उस पर बौद्ध-धर्म की छाया है, अथवा यह कहना अधिक उचित होगा। इसमें वे नैतिक सिद्धांत विद्यमान हैं, जिनके आधार पर बौद्ध-धर्म खड़ा हुआ, पर जिनका हिन्दू-धर्म में गौण स्थान है।" डॉ. आर. एस. त्रिपाठी ने भी धर्म को सार्वभौम धर्म मानते हुए लिखा है, "जिस 'धर्म' का रूप उसने (अशोक) संसार के सामने रखा वह प्रमाणतः सारे धर्मों का सार है।" एक अन्य लेखक मैकफेल ने भी इसी मत का समर्थन किया है। उनके शब्दों में, "अशोक ने जिस धर्म का प्रचार अपने अभिलेखों में किया वह बौद्ध-धर्म नहीं था, बल्कि वह तो उस सरल पवित्रता का द्योतक है जिसका अशोक सब धर्मों के लोगों से आचरण कराना चाहता था।"

उपरोक्त विद्वान यह प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध-धर्म अथवा सिर्फ उससे ही प्रभावित नहीं था। स्मिथ ने लिखा है कि इसका प्रमाण यह है कि अशोक अनेक स्थानों पर 'स्वर्ग' का उल्लेख करता है जबकि बौद्ध-धर्म में स्वर्ग का अस्तित्व

ही नहीं है। अतः धम्म निश्चित रूप से अन्य धर्मों से भी प्रभावित था।

**खंडन-** उपरोक्त विद्वानों के मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि डॉ. स्मिथ के तर्क काफी सशक्त हैं, परन्तु अशोक के अभिलेखों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि धम्म बौद्ध-धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। इसके अतिरिक्त भी इस मत को स्वीकार करने में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं :

1. बौद्ध-ग्रन्थों में अशोक में 'बौद्ध-धर्म का रक्षक तथा प्रचारक' कहा गया है।
2. अशोक के समय में बौद्ध-धर्म उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया था।

उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट है कि अशोक ने जिस 'धम्म' का प्रचार किया वह बौद्ध-धर्म से संबंधित था।

#### **ब्राह्मण-धर्म :**

अशोक के धम्म को ब्राह्मण-धर्म मानने वाले विद्वानों में फादर हेरास प्रमुख हैं। उनके अनुसार अशोक के अन्तिम समय तक उसका धर्म ब्राह्मण-धर्म था। उनके अनुसार धम्म में पवित्रता, सच्चरित्रता, सत्यता, स्वर्ग, आदि का प्रचुर प्रयोग इस तथ्य की पुष्टि करता है। फादर हेरास के मत का एच. एच. विल्सन ने भी समर्थन किया है।

**खंडन-** इस मत के विरोध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

1. यदि अशोक ब्राह्मण था तो उसके अभिलेखों में यज्ञों व अन्य ब्राह्मणधर्मीय कार्यकलापों का उल्लेख क्यों नहीं मिलता।
2. गार्गी संहिता नामक ब्राह्मण-ग्रन्थ में अशोक की, धम्म-विजय का पालन करने के कारण, आलोचना की गई है। यदि अशोक ब्राह्मण होता तो उसकी आलोचना नहीं की जाती।

#### **उपासक बौद्ध-धर्म :**

इस मत के प्रतिपादकों में डॉ. भंडारकार, सेनार्ट हूल्श आदि प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने धम्म का बौद्ध-धर्म से संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। सेनार्ट ने लिखा है कि अशोक की शिक्षा व बौद्ध-धर्म पद में समानता है तथा अशोक के लेखों में उस समय के बौद्ध का धर्म पहले एक शुष्क ज्ञानमार्गी मत था। उसका अशोक ने रजित एवं भावनात्मक भवित का रूप दिया, जो साधारण जनता को रचने वाला हो गया।' डॉ. भंडारकार ने भी इस संदर्भ में लिखा है, 'इस धम्म का मूलन प्रेरक स्त्रोत बौद्ध-धर्म था।'

इस मत की आलोचना करते हुए थामसन महोदय ने लिखा है कि यदि अशोक का धम्म बौद्ध-धर्म का ही नया स्वरूप था तो उसमें निर्वाण के स्थान पर स्वर्ग का उल्लेख क्यों किया गया है। इसके अतिरिक्त, धम्म में चार आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग का वर्णन क्यों नहीं किया गया।

प्रो. थामसन के उपरोक्त तर्कों का खंडन करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

1. (1) अशोक के समय में स्वर्ग का सिद्धांत लोकप्रिय था। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने प्रत्येक कार्य

का फल चाहता है अतः अशोक ने स्वर्ग की धारणा की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए प्रजा को यह समझाया कि धम्म का पालन करने पर उन्हें स्वर्ग मिलेगा।

2. (2) अशोक धम्म के द्वारा अपने साम्राज्य में रहने वाली विभिन्न जातियों में एकता व एकरसता उत्पन्न करना चाहता था। इसलिए भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग करना आवश्यक था।
3. (3) जहां तक चार कार्य आर्य सत्य, आदि के उल्लेख न करने का प्रश्न है, डॉ. भंडारकार ने लिखा है कि अशोक के समय में धम्म के दो भाग थे। प्रथम, भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए, तथा द्वितीय, गृहस्थ लोगों के लिए। अशोक स्वयं भी गृहस्थ था अतः इस तथ्य से परिचित था कि एक गृहस्थ के लिए चार आर्य सत्य, आदि का पालन करना कठिन है। अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रजा से ही धम्म का पालन करने का आङ्गान किया है। प्रजा में अधिकांश लोग गृहस्थ थे अतः उनके लिए कठोर नियमों का पालन करना कठिन था, अतः उसने धम्म के पालन करने का सरल मार्ग जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि सिर्फ बौद्ध-धर्म के उपासकों के लिए था था। इसी आधार पर डॉ. भंडारकार, आदि ने धम्म को 'उपासक बौद्ध-धर्म' माना है। इसी कारण चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, आदि के अशोक के अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया है।

डॉ. भंडारकार के अतिरिक्त प्रो. बरुआ ने भी यही प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि अशोक गृहस्थ-बौद्ध था, इसलिए उसके धम्म तथा महात्मा बुद्ध के उस धर्म में काफी समानता है जो गृहस्थों के लिए बताया गया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में उन्हीं बातों का उल्लेख किया है जिनको महात्मा बुद्ध ने गृहस्थों के लिए बताया था।

डॉ. भंडारकार ने पुनः अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध-धर्म बताते हुए, अपने मत के समर्थन में अग्रलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं :

1. दीर्घिनिकाय में उपासक बौद्ध-धर्म का उल्लेख मिलता है। इसमें महात्मा बुद्ध ने माता-पिता की सेवा, गुरु, मित्र, परिचित, संबंधी, स्त्री, आदि की सेवा व दासों, आदि के साथ अच्छार व्यवहार करने के लिए कहा है। अशोक के धम्म में भी यही कहा गया है, अतः धम्म 'उपासक बौद्ध-धर्म' ही है।
2. महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए निर्वाण व गृहस्थों के लिए स्वर्ग का मार्ग बताया है। धम्म उपासकों के लिए होने के कारण उसमें भी स्वर्ग का उल्लेख है, निर्वाण का नहीं।
3. उपासक बौद्ध-धर्म की परम्परा के अनुसार मृत्यु के पश्चात् धार्मिक व्यक्ति को विमान, हस्ति तथा अग्निस्कंध मिलता है। अशोक ने भी अपने चौथे शिलालेख में इनका उल्लेख किया है।
4. अशोक के धम्म में वर्णित धम्म मंगल, धम्म विजय, धम्म दान, आदि विचार बौद्ध-ग्रन्थ इतिवृत्तक से लिए गए हैं।

5. अशोक के धर्म का सहिष्णुता का सिद्धान्त भी बौद्ध-ग्रन्थ चूलविहू तथा महाविहू से लिया गया है।
6. भाबू अभिलेख ने अशोक ने उपासकों के अध्ययन के लिए सात धर्म परियायों का उल्लेख किया है।

#### **निष्कर्ष**

उपरोक्त विभिन्न विद्वानों के मतों के अध्ययन करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है, जिसकी मूलभूत मान्यताएँ सभी सम्प्रदायों में मान्य हैं और जो देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि वह दूसरे धर्मों को उपेक्षा या शत्रुता की दृष्टि से देखता था। उसने यह घोषणा कि कीं जो मनुष्य दूसरे धर्मों की अवहेलना करके अपने धर्म को स्थापित करना चाहते हैं वे वास्तव में अपने धर्म को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। वह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता था। द्वितीय स्तम्भ लेख में अशोक ने कहा है – “धर्म में अधर्मता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ कर्म संवेदना, सहानुभूति, उदारता, सम्यता और पवित्रता ही धर्म की वास्तविक परिभाषा है।” “उपरोक्त तर्कों के आधार पर ‘धर्म’ को उपासक बौद्ध-धर्म प्रमाणित करते हुए डॉ. भण्डारकर ने लिखा है, ‘वह (धर्म) सब धर्मों में सामान्य रूप से विद्यमान साधारण कर्तव्यों का संग्रह न था, बल्कि बौद्ध-धर्म द्वारा उपासक के लिए निर्धारित धार्मिक व्यक्तियों का संग्रह था।

#### **संदर्भ ग्रंथ सुची**

1. राय चौधरी, हेमचंद्र, पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इनसिएंट इंडिया /
2. कौटियाल, प्राचीन भारत का इतिहास . /
3. स्मिथ, वी. ए. अशोक /
4. त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास. . /
5. पाण्डे, विमलचन्द्र, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भाग-1, .
6. भण्डारकर, डॉ. आर., अशोक . /
7. स्मिथ, वी. ए., द अलर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया /
8. विद्यालंकार, सत्यहेतु मौर्य साम्राज्य का इतिहास, . /
9. थापर, रोमिला मौर्य साम्राज्य का पतन, . /
10. शास्त्री, नीलकण्ठ, नन्द-मौर्युगीन भारत . /